

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022-23/18

दिनांक-21/09/2022

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक- प.17(10)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक: 21.07.2022 द्वारा लोकसेवकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) ऑटोफॉरवर्ड होकर एपीएआर ग्रेडिंग निर्धारण एवं ऑटोफॉरवर्ड की प्रणाली आदि वर्ष 2020-21 से अपनाये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

वर्ष 2020-21 की अवधि के प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता को लोकसेवक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी/ग्रेडिंग कार्य हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/09/2022 तक समस्त लम्बित एपीएआर पर ग्रेडिंग/टिप्पणी कार्य पूर्ण किया जाकर लम्बित एपीएआर की संख्या शून्य करें। उक्त दिनांक के पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.04.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन एपीएआर (शाला दर्पण) मॉड्यूल में Auto Forward/Approval की प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 21/09/2022

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/गो.प्र./मॉड्यूल/2022-23/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश की पालना की सुनिश्चितता करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. समस्त प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी शिक्षा विभाग, राजस्थान को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

जि.शि.अ.(डी.पी.सी.)